भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

सं.16/54/2023/Admn/E.Office.163893 **दिनांक:21/01/2026**

सेवा में,

निदेशक/प्रभारी निदेशक
परिषद के सभी संस्थान/केन्द्र

विषय: GSLIS मास्टर पॉलिसी संख्या 46396 के अंतर्गत दिनांक 18.09.2013 के बाद अपात्र कर्मचारियों से की गई कटौती/जमा राशि के विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा परिषद के अभिलेखों के परीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि GSLIS मास्टर पॉलिसी संख्या 46396 के अंतर्गत दिनांक 18.09.2013 के बाद नियुक्त/अपात्र कर्मचारियों से भी कुछ संस्थानों/केन्द्रों में GSLIS प्रीमियम की कटौती की गई तथा/अथवा राशि जमा की गई।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 18.09.2013 के बाद किसी भी नए कर्मचारी को विद्यमान GSLIS योजना में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं है तथा इस अवधि में की गई कोई भी कटौती/जमा राशि पॉलिसी में समायोज्य नहीं है। LIC द्वारा ऐसे मामलों में कर्मचारी-वार विवरण मांगा गया है ताकि प्रकरण की जाँच कर आवश्यक निपटान/रिफंड की कार्यवाही की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आपके संस्थान/केन्द्र में दिनांक 18.09.2013 के बाद किसी भी कर्मचारी से GSLIS की कटौती की गई हो अथवा कोई राशि जमा की गई हो, तो निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से प्रमाणित (duly certified) रूप में परिषद को उपलब्ध कराएँ:

1. कर्मचारी का नाम
2. पदनाम
3. नियुक्ति तिथि
4. GSLIS कटौती की अवधि (माह-वर्ष)
5. माह-वार कटी गई राशि
6. वेतन से कटौती का प्रमाण
7. परिषद/LIC को राशि भेजे जाने (Remittance) का प्रमाण
    - (DD/चेक संख्या, तिथि एवं राशि सहित)

उपरोक्त समस्त जानकारी **15 दिवस** के अंदर परिषद (Accounts-III / Administration) को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि LIC के साथ प्रकरण का समुचित परीक्षण कर अशुद्ध/अतिरिक्त जमा राशि के निपटान/वापसी की कार्यवाही की जा सके।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में दिनांक 18.09.2013 के बाद नियुक्त किसी भी कर्मचारी से GSLIS की कोई कटौती न की जाए तथा पूर्व में यदि ऐसी कोई राशि काटी गई हो, तो उसका त्वरित समाधान किया जाए। इस विषय को **अत्यावश्यक** मानते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by Jaibir Singh
Date: 23-01-2026 15:04:19

(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद के सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त)
4. वित्त अनुभाग / Accounts-III, ICMR
5. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 4911,
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029, भारत
V. Ramalingaswami Bhawan, P.O. Box No. 4911,
Ansari Nagar, New Delhi - 110 029, India
Tel: +91-11-26588895 / 26588980 / 26589794
+91-11-26589336 / 26588707
Fax: +91-11-26588662 | icmr.nic.in